



15 EP. 207

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व महल व वालियर कैंप, सागर
निगा-1917-III-14

B.O.R.

3 JUN 2014

१- मुनी देवी पत्नी शिवराम ब्राह्मण पुरी मातादीन
निवासी ग्राम घटरा तहसील गोरिहार जिला कतरपुर (म०ब०)
निगरानी कर्ता

सनाम

- १- पवन कुमार वल्द कुटनसिंग
- २- अरुण कुमार सिंग वल्द कुटनसिंग
- ३- प्रमोद कुमार सिंग वल्द कुटनसिंग
- ४- राजा सिंग वल्द कुटनसिंग
- ५- श्रीमति मुरी पत्नि कुटनसिंग

समस्त निवासी मेहराजपुर तहसील नरनी, जिला बांदा (उ०ब०)
हाल निवासी ग्राम घटरा तह० गोरिहार जिला कतरपुर
अनावेदकाण

निगरानी अंतर्गत घारा ५० म०ब०मू-राजस्व संहिता १९५६

निगरानी कर्ता आवेदक न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, कतरपुर के राज० क्रमांक २३-निग०।अपील।वण २००६-१० में पारित आदेश दिनांक ३०।४।२०१४ से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करती है :-

१- यहकि संपत्ति में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम घटरा की भूमि सर्वे न० १६२२।२ रकबा १४-५६ एकड़ का मू. भूमि स्वामी राजस्व रिकार्ड में संवत् २०३३ तक ग्या प्रसाद सिंग वल्द कलू सिंग दज था उसकी मृत्यु के पश्चात् इस भूमि पर उसकी पत्नि राजा बह का नामांतरण भूमि स्वामी स्वरूप पर स्वीकृत हुआ। श्रीमति राजा बह ने अन्य भूमियों के साथ साथ उक्त भूमि में से ४-६२६ हे० का भाग १।२ पर्ज कृत विक्रय पत्र क्रमांक ६६८, दिनांक २।८।१९८४ द्वारा श्रीमति मुरी बाई पत्नि कुटनसिंग ठाकुर को विक्रय की है तथा राज० रिकार्ड में

कानूनीय कमिश्नर, सागर सम्भाग,
सागर (म. प्र.)
आवेदक
श्रीमति देवी

85
17-614
श्रीमान देवी 17/6114 को
श्रीमान देवी को
श्रीमान देवी को
17/6114
B.A.S.C.

2364

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

43

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1917-तीन/14

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 23/निगरानी/अपील/वर्ष 2009-2010 में पारित आदेश 30-4-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को गुणदोषों पर अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध है । अतः दूसरी निगरानी ग्राह्य करने का पर्याप्त आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	